RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE, KANNAUJ
UTTAR PRADESH
(A GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE)

संख्या:483/नि0का0/आर0ई0सी0/कन्नौज/2018-19

दिनांक: 12 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

विषय:सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 03-12-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को स्पाट राउण्ड काउंसलिंग 2018 में जमा की गई धनराशि रू0 70,000/-(DD No. 126665 Dated 6-08-2018) को संस्थान से वापस किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि काउंसिलिंग में आप द्वारा डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को किये गये शुल्क भुगतान की धनराशि अभी तक संस्थान को अप्राप्त है। विश्वविद्यलय द्वारा यदि उक्त शुल्क की धनराशि संस्थान को हस्तांतरित किया जाता है तो नियमानुसार आपको वापस कर दिया जायेगा।

भवदीया,

(प्रो0 नीलम श्रीवास्तवव)
निदेशक

RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE, KANNAUJ
UTTAR PRADESH
(A GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE)

संख्या:472/नि0का0/आर0ई0सी0/कन्नौज/2018-19 दिनांक: 4 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

डा0 आर0के0 सिंह
उप कुलसचिव
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/आर0टी0आई0/ 2018/12544 दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री द्वारा डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को स्पाट राउण्ड काउंसलिंग 2018 में जमा की गई धनराशि रू0 70,000/-(DD No. 126665 Dated 6-08-2018) संस्थान को अभी तक अप्राप्त है।

विश्वविद्यलय द्वारा यदि उक्त शुल्क की धनराशि संस्थान को हस्तांतरित किया जाता है तो नियमानुसार संबंधित छात्र को शुल्क की धनराशि वापस कर दिया जायेगा।

भवदीया,

(प्रो0 नीलम श्रीवास्तवव)
निदेशक

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अहेर,
बुधई पुरवा, दिब्यापुर रोड,
तिरवागंज, कन्नौज–209732

विषयः– आर0टी आईएक्ट 2005 के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना के सम्बंध में ।

संदर्भः–पूर्व प्रेषित पत्र सं0 शून्य दि0 11.08.2018 तथा दि018.08.2018 एवं आर.टी.आई. एक्ट–2005 के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना पत्र सं0–दि012.10.2018

मेरी पुत्री .. , ने डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, लखनऊ द्वारा आयोजित दि0 08.08.2018 के स्पॉट राउंड में भाग लिया था। उसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज एलॉट हुआ था, जिसमें उसने पारिवारिक कारणों के कारण प्रवेश नहीं लिया था। मेरे द्वारा जमा की गई धनराशि रू 70,000/– (DD number:-126665, Dated: Aug 6,2018) को जब्त कर लिया गया है। अत्यंत खेद का विषय है कि मेरे उक्त पत्रों पर आपके कॉलेज द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है तथा धनराशि वापसी के सम्बंध में सूचना, मुझे अब तक प्रदान नहीं की गई है। कृपया मुझे आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए :–

463/RECK
7-12-18

1– मैं यह जानना चाहता हूँ कि उक्त धनराशि मुझे कब तक वापस की जाएगी।
2–यदि कोई कटौती की जानी है तो उसका विवरण उपलब्ध करायें।
3–विलम्ब होने की दशा में मुझे ब्याज की धनराशि किस प्रकार व कितनी दर से वापस की जाएगी।

Dean office
सूचना तत्काल
भिजवाएं

संलग्नक :– दस रूपए का पोस्टल आर्डर सं0–**44F 356863**
स्थान : लखनऊ
दिनॉकः 03.12.2018

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / आर0टी0आई0 / 2018 / 12544 दिनांक: 31 अक्टूबर, 2018

सेवा में,
निदेशक,
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज
कन्नौज।

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न श्री 12.10.2018 (छायाप्रति संलग्न) को माह अक्टूबर 2018 के पंजिका क्रमांक 24 पर पजाकृत किया गया है, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन **आपकी संस्था में जमा धनराशि की वापसी से संबंधित 03 बिन्दुओं पर** सूचना मांगी जा रही है, प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपरोक्त आवेदन आपको स्थानान्तरित किया जा रहा है क्योंकि मांगी जा रही सूचना की विषय वस्तु आपके विभाग / कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए रू0 10/–मात्र शुल्क के रूप में भुगतान किया गया है जिसे सरकारी कोषागार / लेखा में जमा कर दिया गया है।

435/RECK 12-10-2018

संलग्नक:–यथोक्त

भवदीय,

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव / जन सूचना अधिकारी

Dean office
Put up the case with supporting documents & recommendation
12/11/18

प्रतिलिपि: G

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव / जन सूचना अधिकारी

Forwarded to accounts office to crosscheck whether the amount has been transferred to the college account, if don kindly do the need.
12/11/18

Just

(24)
10/18

सेवा में,

✓रजिस्ट्रार,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम युनिवर्सिटी,
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार
लखनऊ–226031

दिषयः– आर0टी आईएक्ट 2005 के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना के सम्बंध में ।

संदर्भः–पूर्व प्रेषित पत्र सं0 शून्य दि0 11.08.2018 तथा दि018.08.2018।

विनम्र निवेदन है कि मेरी पुत्री ने आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित दि0 08.08.2018 के स्पॉट राउड म भाग लिया था। उसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज एलॉट हुआ था, जिसमें उसने पारिवारिक कारणों के कारण प्रवेश नहीं लिया था। मेरे द्वारा जमा की गई धनराशि रू 70000/– (DD number:-126665, Dated: Aug 6,2018) को जब्त कर लिया गया । अत्यंत खेद का विषय है कि मेरे उक्त पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा धनराशि के वापसी की कोई सूचना मुझे नहीं प्रदान की गई है। कृपया मुझे आर0टी0आई0 एक्ट के तहत निम्न सूचना अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए :–

1– मैं यह जानना चाहता हूँ कि उक्त धनराशि मुझे कब तक वापस की जाएगी।
2–यदि कोई कटौती की जानी है तो उसका विवरण तथा नियम बतायें।
3–विलम्ब होने की दशा में मुझे ब्याज की धनराशि किस प्रकार व कितनी दर से वापस की जाएगी।

संलग्नक :– दस रूपए का पोस्टल आर्डर सं0–.44F 347421
स्थान : लखनऊ
दिनॉकः 12.10.2018

593
15.10.18

श्री आर० सी० गुप्ता

(9876)

13.10.18
Reg

15-10-18
DR